न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 83 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. रामाराम पुत्र पाताराम 2. रूगनाथराम पुत्र टीकमाराम जातियान कलबी निवासीयान हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. हीराराम पुत्र नगाराम 2. हरीराम पुत्र नगाराम 3. कनको पत्नी नगाराम निवासीयान हाजाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 5. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12 / 2021 बअनवान रामाराम वगैरा बनाम हीराराम में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अपीलांटगण / प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा हाजाणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाखरपुरा के खेत खसरा संख्या 744 / 438 रकबा 2.0477 हैक्टयर व खसरा संख्या 760 / 460 रकवा 10.7484 हैक्टयर अवस्थित है। जहां अपीलांटगण ने अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते के लिये भूमि समर्पण कर दी ओर अपीलांटगण को सरकारी कटान तक जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है जो रास्ते के लिये उतरदाता का खेत खसरा नम्बर 462 मौजा हाजाणियों की ढाणी में से सरकारी कटान तक जाने के लिये रास्ता दिलाने बाबत हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटगण / प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 व 26.03.2022 मंगवाई गई उसके आधार पर अपीलांटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए खसरा संख्या 462 में प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों मौका रिपोर्ट को दरकिनार कर केवल मात्र इस आधार पर अपीलांटगण का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन अस्वीकार कर दिया कि खसरा नम्बर 462, 463, 467 के आगे स्थिति खसरा नम्बर 497 के खातेदारान व पाडोसी पक्षकारान के मध्य खसरा नम्बर 497 बाबत न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने व उसमें स्थगन होने के कारण अपीलांटगण को सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता जबकि उक्त स्थगन आदेश माननीय अपर जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.09.2022 को खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में उपर वर्णित आधार पर अपीलांट का आवेदन कानूनन गलत व बेबुनियादी आधार पर खारिज किया गया। अपीलांटगण की खातेदारी भूमि से सरकारी कटान तक जाने के लिये खसरा नम्बर 462 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 463, 461, 467, 497, 475 पर पूर्व से ही रास्ता विद्यमान था ओर उन खातेदारान द्वारा रास्ते के लिये भूमि सरकार के पक्ष में समर्पित करवाई जा चुकी है ओर मौके पर रास्ता नक्शे में तरमीम हो रखा है जो मौके पर अनवरत चालू है। केवल मात्र खसरा नम्बर 462 के खातेदारान द्वारा रास्ते के लिये भूमि समर्पित नहीं की गई जिस कारण से हस्तगत आवेदन पेश किया गया। हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार करने का मुख्य आधार अन्य प्रकरण संख्या 81/2020 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2021 में खसरा नम्बर 438 के राजकीय कटाण मार्ग तक पहुचने के लिये खसरा नम्बर 432/433 व 435 से होकर गुजरना ही नजदीकी विकल्प बताया गया है ओर उस तथ्य को आधार बनाकर अपीलांटगण का आवेदन खारजि किया गया जबकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें खसरा संख्या 462 से गुजरना ही नजदीकी विकल्प है। अपीलांटस को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता अपीलांटस/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर खसरा संख्या 462 से प्रस्तावित रास्ते का नक्शा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के खसरा संख्या 744/438 व 760/460 के पूर्व सेढा पर सरकारी रास्ता है जिसके खसरा संख्या निम्न प्रकार है 741/436, 745/438, 759/460, 761/461 सरकारी रास्ता है जो वादीगण के अपने में खेत में आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। धारा 251ए में नया रास्ता कायम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु absolutenecessary End absence of alternative means of access is proved है। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। और जब किसी काश्तकार के पास alternative means of access मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। हस्तगत आवेदन अलग–अलग खसरों के खातेदारों ने मिलकर आवेदन पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है क्योंकि धारा 251क में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी जोत तक जाने के लिए रास्ते का आवेदन कर सकते है। जागीर समय से एवं वक्त सेटलमेंट से हाजाणियों की ढाणी से गुड़ामालानी जाने वाले कदमी रास्ता जिस पर वर्तमान में डामर सड़क बनी हुई है। उक्त डामर सड़क से हाजाणियों की ढाणी से अपीलांटगण के खातेदारी भूमि तक वक्त सेटलमेंट से कदमी रास्ता चलता था जो आज दिन तक कदमी रास्ता चलता है। मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 497 में भूमि समर्पण की गई जिसके समर्पण के बाद खसरा संख्या 497/1 दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 497/1 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 07.10.2022 को पारित किया गया। ग्राम सोढों की ढाणी में खसरा संख्या 475 गैर मुमकिन ओरण का आया हुआ है जो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017–18 में निर्णयानुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से उक्त भूमि में से किसी भी प्रकार का आवंटन वर्जित होने से उक्त खसरे में से रास्ता प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौका रिपोर्ट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा राजनैतिक दबाव में तैयार की गई। उक्त प्रकरण में अपीलांटगण ने मिलकर सिर्फ उतरदातागण को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने एवं उतरदातागण को पेशियों पर घुमाने एवं राजनैतिक दबाव से उतरदातागण के खेत में से जबरदस्ती रास्ता निकालने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंटस संख्या 05 की तरफ से बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदनमें खसरा संख्या 475 गैर मुमकिन ओरण भूमि से गुजरना बताया जो प्रतिबंधित भूमि पर नहीं किया जा सकता। खसरा संख्या 475 गैर मुमकिन ओरण से होकर किसी भी रास्ते को नहीं जोड़ा जा सकता। धारा 251क आवागमन का प्रस्ताव मांगा गया है, आवेदन अपूर्ण था क्योंकि दो खसरों को समर्पण बताया तथा दो रास्तों को जोड़ने के लिए धारा 251क तहत हस्तगत आवेदन पेश किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा पेश हस्तगत आवेदन कानूनी रूप से मेंटेनेबल ही नहीं है। गैर मुमकिन ओरण सरकारी प्रतिबंधित भूमि है जिससे रास्ते को जोड़ने के लिए 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो नहीं दिया गया। राज्य सरकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आवेदन/वाद पेश करने पर उसमें सचिव स्तर या जिला कलक्टर को पक्षकार बनाया जाना आज्ञापक है जो नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन में अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। प्रार्थीगण/अपीलांटस के खसरा नम्बर 744/438 व 760/460 के पूर्वी सेढा पर सरकारी रास्ता है जिसके खसरा नम्बर 741/436, 745/438, 759/460, 761/461 सरकारी रास्ता है जो अपीलांटस के खातेदारी में आने–जाने के लिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

रास्ता उपलब्ध है। अपीलांटस के मूल खसरा संख्या 438 थे जिसका आपसी सहमति से विभाजन करने से खसरा नम्बर 438/1 व 438/2 बने। खसरा संख्या 744/438 के सेढा–सेड आने–जाने हेतु सरकारी रास्ता मौजूद है एवं खसरे में पहुचने हेतु खसरा नम्बर 432/1 गैर मुमकिन रास्ता विभाजन से पूर्व मूल खसरा नम्बर 438 के सबसे निकटतम आवागमन का विकल्प मौजूद है। अपीलांट के खसरा संख्या 744/438 हाजाणियों की ढाणी से गुड़ामालानी जाने वाली सड़क से खसरा नम्बर 435 व 433 के पास है जो सड़क से सबसे निकटतम है जिसमें अनुमानित 400 फीट दूर डामर सड़क है, जिसकी मौका रिपोर्ट राजस्व आवेदन संख्या 81/2020 में दिनांक 23.11.2021 को भू अ निरीक्षक रतनपुरा द्वारा तैयार की गई। ग्राम सोढों की ढाणी के खसरा संख्या 475 गैर मुमकिन ओरण का है जो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017–18 में निर्णयानुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का आवंटन वर्जित होने से उक्त खसरे में से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। खसरा संख्या 497 व 468 के वीच पूर्व में भी जो माठ वनी हुई थी उसका विवाद न्यायालय में पेश हुई जिसमें दिनांक 04.10.2012 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थाई स्थगन आदेश पारित किया गया। ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 497 में भूमि समर्पण की गई जिसकी समर्पण के वाद खसरा संख्या 497/1 दर्ज किया गया खसरा नम्बर 497/1 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का स्थगन आदेश दिनांक 07.10.2022 से मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये जो वर्तमान में प्रभावी है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटस के खेत खसरा संख्या 462 में से रास्ता चाहा गया जो रास्ता आगे किसी सरकारी रोड़ या सरकारी कटान मार्ग से नहीं जुड़ता है। अपीलांट/ प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त रास्ता, रास्ते से रास्ते की भूमि को जोड़ने के लिये रेस्पोडेंटस की खातेदारी में धारा 251ए के तहत चाहा गया है, जबकि धारा 251ए रा.का.अ. के तहत रास्ते को रास्ते से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। है। धारा 251ए में नया रास्ता कायम करने के लिए सवसे महत्वपूर्ण बिन्दु absolutenecessary End absence of alternative means of access is proved है। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। और जब किसी काश्तकार के पास alternative means of access मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी खातेदार को परेशान तंग नहीं किया जा सकता। अपीलांटस/प्रार्थी को रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है तथा रास्ते का अन्य विकल्प उपलब्ध होने से हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर हस्तगत अपील पेश की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2021 वअनवान रामाराम वगैरा वनाम हीराराम में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर